

अनुमण्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.- 365 / 2013 सी.आई.एस.क्र.- 365 / 2013

उपेन्द्र यादव बनाम अभिनंदन यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
28.08.2025	वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 02.06.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी द्वारा साक्ष्य के दौरान दिनांक 02.06.2025 को केवाला एवं अन्य दस्तावेज, दस्तावेज की सूची के साथ प्रस्तुत किया गया है जो वाद के निर्धारण हेतु आवश्यक है। अतः निवेदन है कि विलंब को माफ करते हुये उक्त दस्तावेज को ग्रहण कर प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाये। प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी के द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित नहीं किया गया है कि कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में वादी का आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। शेष प्रतिवादी के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है ना ही वे सुनवाई हेतु उपस्थित हुये हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में यह वाद वादी साक्ष्य हेतु चल रहा है। उसी क्रम में वादी की ओर से दिनांक 02.06.2025 को दस्तावेज की सूची के साथ वादी की ओर से विलंब से दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेज वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिये आवश्यक है। ऐसी दशा में दिनांक 02.06.2025 को प्रस्तुत दस्तावेज को वादी की ओर से ग्रहण कर वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त दस्तावेजों के विवरण के साथ प्रदर्श अंकित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। वाद आगामी दिनांक 23.09.2025 वास्ते वादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/- अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	